कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी जिला बांसवाड़ा
(लोक अदालत शिविर)

क्रमांकः एफ ( ) राज./लो.अ./2024/32

दिनांकः 09.3.2024

आदेश

प्रार्थी रमेश चन्द्र पिता स्व0 नाथुलाल कलाल निवासी खेड़ा द्वारा लोक अदालत शिविर दिनांक 09.3.2024 में प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर पटवार हल्का खेड़ा के मौजा खेड़ा की खाता संख्या 279 (नई) 230 (पुरानी) के कुल किता 11 रकबा 1.42 हे0 भूमि में वर्णित खातेदारान् दिनेश पुत्र नाथु हिस्सा 1/4, प्रकाश पुत्र नाथु हिस्सा 1/4, श्रीमति पार्वती पत्नि स्व0 श्री नानालाल हिस्सा 1/2 जाति कलाल में वर्णित प्रकाश के स्थान पर रमेश चन्द्र की शुद्धि करवाने निवेदन किया। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में तहसीलदार, गढ़ी की जांच रिपोर्ट ली जाने पर प्रार्थी का नाम संशोधन किया जाने की रिपोर्ट प्रस्तुत हुई।

अतः पटवार हल्का खेड़ा के मौजा खेड़ा की जमाबन्दी संवत 2076 से 2079 की खाता संख्या 279 (नई) 230 (पुरानी) के कुल किता 11 रकबा 1.42 हे0 भूमि में वर्णित खातेदारान के नाम में प्रकाश के स्थान पर रमेश चन्द्र बाकि बदस्तुर दर्ज करने का आदेश दिया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाडा

प्रतिलिपिः–

(1) तहसीलदार, गढ़ी को दो प्रतियों में भेजकर लेख हैं कि सम्बन्धित पटवारी हल्का से पालना कराया जाना सुश्चित करें।

(2) प्रार्थी श्री रमेंश चन्द्र नाथु कलाल निवासी खेड़ा।

उपखण्ड अधिकारी,
गढ़ी

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2024.03.28 16:04:23 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

09.3.24	पत्रावली लोक अदालत शिविर में पेश हुई। प्रकरण में समझौता, नहीं की रिपोर्ट अनुसार आदेश जारी कर पत्रावली फैसल उपरान्त बाद दाखिल दफ्तर की जाती है।

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2024.03.28 16:04:23 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner